पत्रांक–3/6–आपदा/विविध/प्रा0–20/2017–......................./प्राधि0

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

अत्यंत महत्त्वपूर्ण
आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण

प्रेषक,

वरीय सलाहकार,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवामें,

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, **सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/अररिया/सीतामढ़ी/शिवहर/दरभंगा/ किशनगंज/पटना/नालंदा/सारण/समस्तीपुर/सिवान/पश्चिमी चम्पारण/कटिहार/मुजफ्फरपुर /वैशाली/बांका/गोपालगंज/जहानाबाद/पूर्णियाँ/भागलपुर/खगड़िया/भोजपुर/शेखपुरा/ गया/रोहतास/अरवल/औरंगाबाद/नवादा/बक्सर/कैमूर/जमुई/मुंगेर/बेगुसराय/लखीसराय।**

पटना, दिनांक– ..../2018

विषयः– **बिहार के बहु–आपदा प्रवण होने के आलोक में पंचायत स्तर तक जनजागरूकता के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से जिलों के चयनित मुखिया एवं सरपंचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बिहार के बहु–आपदा के संबंध में पंचायत स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जनजागरूकता के उद्देश्य से जिलों के प्रखंडों से चयनित मुखिया एवं सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्रदान करना है। तदनुसार जिलों के सभी प्रखंडों से 1–1 चयनित मुखिया एवं सरपंचों को ''मास्टर ट्रेनर'' के रूप में प्रशिक्षित करने का दो दिवसीय कार्यक्रम जिलावार समूहों में 18 जनवरी, 2018 से प्रारंभ की गई है। इस कड़ी में मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण जिलों के मुखिया एवं सरपंचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है और सहरसा एवं सुपौल जिलों के चयनित मुखिया एवं सरपंचों का प्रशिक्षण दिनांक 08–09 फरवरी 2018 को निर्धारित है। उसके आगे अन्य जिलों के मुखिया सरपंचों का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उससे संबंधित जिलावार कैलेण्डर संलग्न है।

2. ''मास्टर ट्रेनर'' का प्रशिक्षण प्राप्त किये मुखिया एवं सरपंचों के माध्यम से जिलों में प्रखंड स्तर पर प्रखंडों के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों का प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिले में प्रखण्ड स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों हेतु वित्तीय सहायता बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिलों में पंचायत स्तर तक जन समुदाय को बहु आपदा के जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी और इसके द्वारा आपदाओं का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा तथा ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप एक ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद प्राप्त होगा।

3. संलग्न कैलेण्डर में दर्शाये गये बैच संख्या के सामनें अंकित तिथि के अनुसार मुखिया एवं सरपंचों का ''मास्टर ट्रेनर'' का जिलावार प्रशिक्षण कार्यक्रम **Bihar Agriculture Management & Extension Training Institute (BAMETI), PATNA** के सभागार में आयोजन निर्धारित है। बामेती परिसर पटना हवाई अड्डा एवं बिहार भेटनरी कॉलेज से आगे केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र के समीप और महिला पॉलिटेक्नीक के सामने अवस्थित है।

4. प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जिला के सभी प्रखंडों से 1–1 मुखिया एवं सरपंच का चयन किया जाना है। चयनित मुखिया एवं सरपंच की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पढ़ने–लिखने की क्षमता ऐसी हो कि उनके माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विषयांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम को जिलों में प्रखंड स्तर पर कार्यान्वित किया जा सके। **यदि किसी जिला से महिला मुखिया/सरपंच का चयन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाता है तो उन्हें यह निदेश दिया जाना आवश्यक है कि उनके साथ उनके पति या कोई सहयोगी साथ न आयें।**

5. प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले मुखिया एवं सरपंचों के ठहरने की व्यवस्था एवं भोजन के अतिरिक्त प्रशिक्षण भत्ता के लिए @500/प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति की दर से भुगतान किया जायेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्ति के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्राधिकरण की ओर से प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा। जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि उनके जिला के लिए चयनित मुखिया एवं सरपंच को निर्धारित प्रशिक्षण की तिथि के 01

दिन पहले निश्चित रुप से बामेती परिसर में योगदान देने हेतु निदेशित किया जाय। उनके ठहरने एवं खाने–पीने की व्यवस्था बामेती के हॉस्टल में प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की गई है। इस निदेश के पालन के होने से ससमय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया जा सकेगा।

6. राज्य एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण हेतु हस्त पुस्तिका विकसित की गई है। सभी मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग के दौरान यह हस्त पुस्तिका प्रदान की जायेगी, ताकि वे जिला स्तर पर लक्षित वर्ग को उक्त हस्त पुस्तिका के माध्यम से प्रशिक्षत कर सकें। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अपने जिले के संबंधित प्रखण्डों के सभी पंचायतों के मुखिया एवं सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्यों को जिला स्तर पर तैयार किये गए कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित राशि में से इन्हें मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त के आलोक में अनुरोध है कि कृपया अपने–अपने जिलों के सभी प्रखंडों से 1–1 मुखिया एवं सरपंच (मास्टर ट्रेनर्स) की सूची (उनके मोबाईल नं0, बैंक खाता पासबुक/कैन्सिल चेक की फोटोकॉपी सहित) यथाशीघ्र भेजने की कृपा की जाय। नामित प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्राधिकरण को **Email:- shivanigupta@bsdma.org ,info@bsdma.org** पर भी भेजी जा सकती है। नामित मास्टर ट्रेनर्स को यह अवश्य निदेशित किया जाए कि वे सभी BAMETI में प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि से 01 दिन पहले संध्या तक बामेती परिसर में निश्चित रुप से पहुँच जायें, जहाँ उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

8. यह भी अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने जिले के आपदा प्रबंधन प्रभारी उपसमाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता को भी नामित किया जाय जो प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों के साथ रहें ताकि वे मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने में सफल हो सकें और अपने जिला के लिए आवश्यक प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका एवं पोस्टर इत्यादि भी वे अपने साथ ले जायें ताकि प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण हेतु पधारे सभी लक्ष्य वर्ग के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका एवं प्रति पंचायत निर्धारित संख्या में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पोस्टर उपलब्ध कराया जा सके। सामग्रियाँ ले जाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को जिला से एक टाटा 407/ट्रक प्रशिक्षण के समाप्ति के दिन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

9. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी यह भी देख लेगें कि मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रतिनियुक्त सभी मुखिया/सरपंच यथा समय प्रशिक्षण हेतु बामेती पहुँच जाँय।

अनु0:– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अजित कुमार समैयार)

वरीय सलाहकार

ज्ञापांक– 348 /आ0प्र0प्रा0 पटना, दिनांक– 02/02/2018

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधुबनी/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/2/18

वरीय सलाहकार

LIST OF DISTRICT WISE MASTER TRAINERS TO BE TRAINED

Sl. No.	Batch	Date	District	No. of Block	Total Nos of Participants
1	2	3	4	5	6
1	1	18 - 19 Jan	Madhubani	21	42
2	2	01 - 02 Feb	Purbi Champaran	27	54
3	3	8 - 9 Feb	Saharsa	10	42
4			Supaul	11	
5	4	15 - 16 Feb	Madhepura	13	44
6			Araria	9	
7	5	22 - 23 Feb	Sitamarhi	17	44
8			Sheohar	5	
9	6	27 - 28 Feb	Darbhanga	18	50
10			Kishanganj	7	
11	7	8-9 March	Patna	23	46
12	8	15-16 March	Nalanda	20	40
13	9	20-21 March	Saran	20	40
14	10	27-28 March	Samastipur	20	40
15	11	5-6 April	Siwan	19	38
16	12	12-13 April	West Champaran	18	36
17	13	18-19 April	Katihar	16	32
18	14	3-4 May	Muzaffarpur	16	32
19	15	10-11 May	Vaishali	16	32

Sl. No.	Batch	Date	District	No. of Block	Total Nos of Participants
1	2	3	4	5	6
20	16	17-18 May	Banka	11	50
21			Gopalganj	14	
22	17	24-25 May	Jehanabad	7	42
23			Purnea	14	
24	18	30-31 May	Bhagalpur	16	46
25			Khagariya	7	
26	19	5-6 June	Bhojpur	14	40
27			Sheikhpura	6	
28	20	12-13 June	Gaya	24	48
29	21	19-20 June	Rohtas	19	48
30			Arwal	5	
31	22	26-27 June	Aurangabad	11	50
32			Nawada	14	
33	23	03-04 July	Buxar	11	44
34			Kaimur	11	
35	24	09-10 July	Jamui	10	38
36			Munger	9	
37	25	16-17 July	Begusarai	18	50
38			Lakhisarai	7	
			Total	**534**	**1068**